Rule 12: Grant of registration to persons required to deduct tax at source or to collect tax at source

- (1) Any person required to deduct tax in accordance with the provisions of section 51 or a person required to collect tax at source in accordance with the provisions of section 52 shall electronically submit an application, duly signed or verified through electronic verification code, in FORM GST REG-07 for the grant of registration through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.
- ¹[(1A) A person applying for registration to ²[deduct or] collect tax in accordance with the provisions of ³[section 51, or, as the case may be,] section 52, in a State or Union territory where he does not have a physical presence, shall mention the name of the State or Union territory in PART A of the application in FORM GST REG-07 and mention the name of the State or Union territory in PART B thereof in which the principal place of business is located which may be different from the State or Union territory mentioned in PART A.]
- (2) The proper officer may grant registration after due verification and issue a certificate of registration in FORM GST REG-06 within a period of three working days from the date of submission of the application.
- (3) Where, ⁴[on a request made in writing by a person to whom a registration has been granted under sub-rule (2) or] upon an enquiry or pursuant to any other proceeding under the Act, the proper officer is satisfied that a person to whom a certificate of registration in FORM GST REG-06 has been issued is no longer liable to deduct tax at source under section 51 or collect tax at source under section 52, the said officer may cancel the registration issued under sub-rule (2) and such cancellation shall be communicated to the said person electronically in FORM GST REG-08:

Provided that the proper officer shall follow the procedure as provided in rule 22 for the cancellation of registration.

¹ Sub-rule (1A) inserted by Noti. No. 74/2018–Central Tax, dt. 31-12-2018 w.e.f. 31-12-2018.

² Inserted by Noti. No. 33/2019–Central Tax, dt. 18-07-2019 w.e.f. 18-07-2019.

³ Inserted by Noti. No. 33/2019–Central Tax, dt. 18-07-2019 w.e.f. 18-07-2019.

⁴ Inserted vide Noti. No. 26/2022–Central Tax, dt. 26-12-2022 w.e.f. 26-12-2022.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 12 : स्त्रोत पर कर की कटौती के लिए या स्त्रोत पर कर संगृहीत करने के लिए अपेक्षित व्यक्तियों को रजिस्ट्रीकरण का प्रदान किया जाना

- (1) धारा 51 के उपबंधों के अनुसार कर की कटौती के लिए अपेक्षित कोई भी व्यक्ति या धारा 52 के उपबंधों के अनुसार स्त्रोत पर कर संगृहीत करने के लिए अपेक्षित कोई भी व्यक्ति या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से रिजस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रानिक रूप से सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन प्ररूप जीएसटी आरईजी—07 में प्रस्तुत करेगा।
- ¹[(1क) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में ²[यथास्थिति, धारा 51 के उपबंधों के अनुसार या] धारा 52 के उपबंधों अनुसार कर ³[कटौती करने के लिए रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति या] संग्रहण के लिए रिजस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करने वाला कोई व्यक्ति, जहां उसकी भौतिक उपस्थिति नहीं है, प्ररूप जीएसटी आरईजी—07 में आवेदन के भाग क में राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का नाम उल्लिखित करेगा और उसके भाग क में उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का नाम उल्लिखित करेगा जिसमें उसके कारबार का मुख्य स्थान अवस्थित है जो भाग—क में उल्लिखित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न हो सकेगा।]
- (2) समुचित अधिकारी सम्यक् सत्यापन के पश्चात् रिजस्ट्रीकरण प्रदान कर सकेगा और आवेदन के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन कार्य दिवस की अविध के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी—06 में रिजस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा।
- (3) जहां जांच किए जाने पर या इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्यवाही के अनुसरण में समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति, जिसे प्ररूप जीएसटी आरईजी—06 में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया है ⁴[या एक व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में किए गए अनुरोध पर जिसे उपनियम 2 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है] धारा 51 के अधीन स्त्रोत पर कर की कटौती का या धारा 52 के अधीन स्त्रोत पर कर संगृहीत करने का दायी नहीं रहा है तो उक्त अधिकारी उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण को रदद कर सकेगा और ऐसे रददकरण को उक्त व्यक्ति को इलेक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी आरईजी—08 में संसुचित किया जाएगा:

परन्तु समुचित अधिकारी रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए नियम 22 में यथा उपबंधित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

¹ अधिसूचना क्रमांक 74/2018—केन्द्रीय कर, दिनांक 31.12.2018 द्वारा उप—नियम (1क) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 31.12.2018)।

अधिसूचना क्रमांक 33/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 18.07.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 18.07.2019)।
अधिसूचना क्रमांक 33/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 18.07.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 18.07.2019)।

⁴ अधिसूचना क्रमांक 26/2022—केन्द्रीय कर, दिनांक 26.12.2022 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 26.12.2022)।